

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र.,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक ²⁵ नवम्बर, 2014

विषय: वेतन समिति 2008 के बारहवें, प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के अन्तर्गत अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों के लिये की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/163सा/278सा/वे.सा.(2008)/13 दिनांक 30.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या-वे.आ. 2-306/दस-54(एम)/2008 टी.सी. दिनांक-31मई, 2013 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 जलकल विभाग नगर निगमों में कार्यरत पी0एस0एस0(पम्पिंग स्टेशन सुपरीटेन्डेन्ट/पम्पहाउस अधीक्षक)(अर्ह) के पदों पर पुरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से विभागीय शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से स्वीकृत करते हुए इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इसके 90 प्रतिशत पदों को इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत पदों को वर्तमान नियमावली में उल्लिखित पोषक पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

2- इस पुनर्गठन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय /जलकल विभाग अपने स्रोतों से वहन करेंगे।राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से दी जा रही धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/सहायता नहीं दी जायेगी।

3- उपर्युक्त का समावेश करते हुए संशोधित नियमावली अलग से प्रख्यापित की जायेगी।

4- उपर्युक्त शासनादेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-ई0-8-3167/दस-2014 दिनांक-20.11. 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

२४७४
संख्या-२६२६(१)/९-१-१४ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा।
4. महाप्रबंधक जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-१/२
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-४।
7. कार्मिक अनुभाग-१/२।
8. नगर विकास अनुभाग-३
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से



(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव। *ec*